रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072022-237196
CG-DL-E-08072022-237196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ़ 17, 1944
No. 487] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 525.—(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसा किया गया है या करने का लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के भारत सरकार मुद्रणालय में प्रबंधक या कार्य प्रबंधक या उप निदेशक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय, प्रबंधक/कार्य प्रबंधक/उप निदेशक (तकनीकी) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रबंधक या कार्य प्रबंधक या उप निदेशक (तकनीकी) कार्य प्रबंधक नामकरण का उपयोग तब किया जाता है जब प्रबंधक को एक ऐसी प्रेस में तैनात किया जाता है जिसका प्रमुख महाप्रबंधक होता है और प्रबंधक को उपनिदेशक (तकनीकी) तब कहा जाता है जब वे मुख्यालय यानी मुद्रण निदेशालय में तैनात होते हैं।	07* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है और बहाली के तहत चार पद और सृजन के तहत दो पद शामिल हैं	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 11 (67700-208700/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन के मामलों में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में 44900-142400/-रुपए में ऐसे उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या प्रौद्योगिकीविद् (प्रक्रिया) या प्रौद्योगिकीविद् (मुदण और जिल्दसाजी) जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और मुद्रण के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

			टिप्पण 1- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद के लिए विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ के साथ तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य : अध्यक्ष (2) अपर या संयुक्त सचिव (मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन प्रभाग के प्रभारी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय : सदस्य (3) निदेशक (मुद्रण), मुद्रण मुद्रणालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय : सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) अपर या संयुक्त सचिव (मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन प्रभाग के प्रभारी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय : अध्यक्ष (2) निदेशक (मुद्रण), मुद्रण निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय : सदस्य (3) संयुक्त निदेशक (तकनीकी), (मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन प्रभाग के प्रभारी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[मि. सं. ए-12018/2/2014-ए.II]

जी. पी. सरकार, उप सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Directorate of Printing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Urban Affairs and Employment, Directorate of Printing, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1996, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager or Works Manager or Deputy Director (Technical) in the Government of India Presses, Directorate of Printing, Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Directorate of Printing, Government of India Presses, Manager/Works Manager/Deputy Director (Technical) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.—The number of said post, its classification, level in pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and Other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix or pay scale.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manager or Works Manager or Deputy Director (Technical) The nomenclature Works Manager is used when the Manager is posted at a Press where the Head is General Manager and Manager is called as Deputy Director (Technical) when they are posted at Headquarters i.e. Directorate of Printing	07* (2022) *subject to variation dependent on workload and inclusive of four posts under revival and two posts under creation	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
8	9	10	11
Not applicable	2 years	By promotion.	**Promotion :** Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Technologist (Process) or Technologist (Printing and Binding) in Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and successfully completion of two weeks training in the field of printing. **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2**:Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member Union Public Service Commission -Chairman (2) Additional or Joint Secretary (in charge of Printing, Stationary and Publication wing), Ministry of Housing and Urban Affairs -Member (3) Director (Printing), Directorate of Printing, Ministry of Housing and Urban Affairs -Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1)Additional or Joint Secretary (in charge of Printing, Stationery and Publication wing), Ministry of Housing and Urban Affairs -Chairman (2) Director (Printing), Directorate of Printing, Ministry of Housing and Urban Affairs -Member (3) Joint Director (Technical), Directorate of Printing, Ministry of Housing and Urban Affairs -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/2/2014-A. II]

G. P. SARKAR , Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.08 19:11:01 +05'30'